UPMB010022322016

न्यायालय A.D.J FTC women related, Mahoba

पीठासीन अधिकारी– (Sunil Kumar-III), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01826**

सत्र परीक्षण संख्या–98/2016
सरकार बनाम रामविलास आदि।
मु0अ0सं0–1179/2012
धारा–308,504,506 भा0दं0सं0
थाना–खन्ना, जिला महोबा।

दिनांक 15.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त नवाब मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत की गयी जो, आज के लिये स्वीकार की जाती है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 109ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। इस पर विपक्षी/अभियुक्त की ओर से आपत्ति कागज संख्या–110ख भी प्रस्तुत है। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र व आपत्ति पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0पी0सी कागज संख्या 109ख व आपत्ति कागज संख्या–110ख का निस्तारणः–

प्रार्थना पत्र कागज संख्या–109ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 अभियोजन की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत है। उक्त पत्रावली का आज अभियोजन द्वारा अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में साक्षी डॉ0 सत्येन्द्र सिंह व कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह का साक्ष्य अंकित नहीं हुआ है न ही इनसे संबंधित प्रपत्र साबित हुआ है। अतः साक्षी डॉ0 सत्येन्द्र सिंह व कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के विरोध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कागज संख्या–110ख प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियोजन द्वारा साक्षी डॉ0 सत्येन्द्र सिंह व साक्षी कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह का साक्ष्य हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। दिनांक 23.03.2023 को अभियोजन द्वारा आदेश पत्र में पृष्ठांकन किया गया है कि साक्ष्य पूर्ण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान में पत्रावली वास्ते बहस नियत है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि दिनांक 23.03.2023 को अभियोजन की ओर से आदेश पत्र के हाशिये पर यह पृष्ठांकन किया गया है कि साक्ष्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी।

अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण में अभी साक्षी डॉ0 सतेन्द्र सिंह व कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह का साक्ष्य अंकित नहीं हुआ है। अतः उक्त साक्षीगण का साक्ष्य कराये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी विदित है कि अभियोजन के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित साक्षीगण डॉ सतेन्द्र सिंह व कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह का नाम अभियोजन के गवाहन सूची में अंकित है और उन्हें इस पत्रावली में अब तक परीक्षित नहीं कराया गया है। परीक्षित न कराने का कोई कारण भी अभियोजन ने नहीं बताया है। उक्त साक्षीगण अभियोजन कथानक के तथ्य के साक्षी है। बिना इन साक्षीगण के परीक्षण के न्यायालय प्रस्तुत मामले में सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है। वाद के साक्ष्य उपरान्त विधिसम्मत व न्यायोचित विनिश्चय के लिए उक्त साक्षीगण को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यद्यपि की अभियुक्तगण की ओर से दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अभियोजन मात्र वाद को विलम्ब कर रहा है तो मात्र इसी आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न्याय के उद्देश्य तक पहुंचना न्यायालय का उद्देश्य रहा है। ऐसा ही मत विधि व्यवस्था **राज्य, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित बनाम टी0आर0एन0 सीनिवासगन, 2022(1) पी0एन0पी0 303 (एस0सी0) व वी0एन0पाटिल बनाम के0 निरंजन कुमार, 2022(1) पी0एन0पी0 573 (एस0सी0)** में भी अवधारित किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 कागज संख्या–109ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अभियोजन को उक्त मामले से संबंधित डॉ0 सतेन्द्र सिंह व एफ0आई0आर0 लेखक कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह को परीक्षित कराने की अनुमति प्रदान किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराा 311 दं0प्र0सं0 कागज संख्या 109ख न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अभियोजन को प्रस्तुत मामले के डॉ0 सतेन्द्र सिंह व एफ0आई0आर0 लेखक कां0 मुहर्रिर अनिरूद्ध सिंह का साक्ष्य अंकित कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 04.01.2024 को पेश हो। उपरोक्त साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो।

(सुनील कुमार तृतीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ0टी0सी0) महोबा।
UP01826

दिनांक 15.12.2022

Digitally signed by Sunil Kumar III
Date: 2023.12.15 14:28:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court